



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265594  
CG-DL-E-21082025-265594

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3721]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947

No. 3721]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

का.आ. 3825(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार तमिलनाडु राज्य में एनएच-38 मैंगलोर-विल्लुपुरम रोड के किमी 135/550 से किमी. 157/550 (किमी. 135/550 - 145/600 (सेक्शन-ए) और किमी. 155/200-157/550 (सेक्शन-सी)) पर स्थित तिरुवन्नमलाई शहर के लिए बाई पास का निर्माण तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन के लिए भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4429(अ) दिनांक 10.10.2024 में निम्नलिखित संशोधन करती है भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (ii) दिनांक 12.10.2024 में प्रकाशित किया गया था, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की प्रमुख अधिसूचना संख्या का.आ.4429 (अ) दिनांक 10.10.2024 में क्रमांक 1 के समक्ष: कालम 2 में, "एसडीआरओ(एलए),हाइवेज(स्कीम्स),वेल्लोर " के स्थान पर "विशेष जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग, वेल्लोर" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

फुट नोट: मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 4429(अ) दिनांक 10.10.2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 12.10.2024 को प्रकाशित किया गया था।

[फा. सं. RO/Chennai/MoRTH/12014/NH-38/AP/007/2024-25]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th August, 2025

**S.O. 3825(E).**— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in notification of the government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4429(E) dated 10.10.2024 for the work of Construction of bypass to Tiruvannamalai town branching at Km. 135/550 to Km. 157/550 of NH-38 Mangalore-Villupuram road (Km 135/550 - 145/600 (Section-A) and Km. 155/200-157/550 (Section-C)) in the State of Tamil Nadu published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (II), 12.10.2024 namely:-

In the schedule to the principal notification number S.O. 4429(E) dated 10.10.2024 , against serial no. 1 in column 2 for the entry “SDRO(LA), Highways (Schemes), Vellore” the entry "Special District Revenue Officer, Land Acquisition, National Highways, Vellore” shall be substituted.

**Foot Note:** The principal notification was published vide number S.O. 4429(E) dated 10.10.2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section 3, Sub Section (ii), dated 12.10.2024.

[F. No. RO/Chennai/MoRTH/12014/NH-38/AP/007/2024-25]

SHAIKH AMINKHAN, Director